न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीविजयनगर

पीठासीन अधिकारी : शकुन्तला, आर.ए.एस.

प्र.सं. 75/2023

जी.सी.एस.एस. नं. : 2023/125

प्रदीप सिंह बनाम असकर अली आदि

अन्तर्गत धारा 251ए राज.काश्त.अधि., 1955

उपस्थिति :–

1. श्री इकबाल कुरैशी, श्री नवीन मिढ़ा अधिवक्ता प्रार्थी(अप्रार्थी सं. 1 असकर अली)
2. श्री गुलशन कुमार सेतिया, अधिवक्ता अप्रार्थी(प्रार्थी प्रदीप सिंह)

–:: आदेश प्रार्थना पत्र ::–

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 सपठित
धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता

दिनांक : 28.04.2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि –

1. अप्रार्थी सं. 1 असकर अली जरिए अधिवक्ता प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण की भूमि कि.नं. 21 से 25 में रास्ता चाहा गया है परन्तु इस संबंध में पूर्व में उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर द्वारा प्रार्थी/आवेदक के पिता शिवपाल सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रकरण सुनवाई उपरान्त निर्णय दिनांक 29.01.1990 द्वारा खारिज किया जा चुका है, जिसके विरूद्ध किसी प्रकार की अपील नहीं करने के कारण निर्णय अन्तिम हो चुका है। पूर्व न्याय का सिद्धांत लागू होता है। प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।
2. प्रार्थी प्रदीप सिंह अप्रार्थी के प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि धारा 11 सीपीसी के प्रावधान वाद पर लागू होते हैं प्रार्थना पत्र पर नहीं, जबकि प्रार्थी द्वारा अपने भूमि के काश्त हेतु रास्ता स्वीकृत करवाने का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है प्रार्थी के पास अपनी भूमि में काश्त हेतु प्रवेश करने के लिए कोई रास्ता नहीं है इसलिए अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विधिक दृष्टि से चलने योग्य नहीं है खारिज करने हेतु निवेदन किया।
3. प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी। उभयपक्ष अधिवक्ता अपनी अपनी बहस में प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों की पुनरावृत्ति की। बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी प्रदीप सिंह द्वारा अप्रार्थीगण अकसर अली आदि के विरूद्ध प्रार्थना पत्र राज. काश्त. अधि. की धारा 251 ए के तहत प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण की भूमि चक 2 जीबी हिन्दो के मु.नं. 20 कि.नं. 21 ता 25 में से रास्ता स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया गया है। अप्रार्थी अकसर अली के द्वारा प्रार्थना पत्र 11 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उक्त कि.नं. 21 से 25 में रास्ता के संबंध में प्रार्थी के पिता का आवेदन उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर द्वारा पूर्व में खारिज किया जा चुका है, जिसकी अपील नहीं होने से निर्णय अंतिम हो चुका है। जिस कारण प्रकरण पर पूर्व न्याय का सिद्धांत लागू होता है। इस पर प्रार्थी प्रदीप सिंह के अधिवक्ता का तर्क है कि 11 सीपीसी के प्रावधान केवल वाद पत्र पर लागू होते हैं प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।
4. [illegible] किया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थी अकसर अली के द्वारा प्रस्तुत [illegible] सिंहनगर प्र.सं. 35/1989 मो. शरीफ बनाम राज. सरकार [illegible] छायाप्रति निर्णय न्यायालय उपखण्ड अ[illegible] [illegible]06[illegible] जिसके द्वारा उक्त प्रश्नगत कि.नं. 21 से 25 में रिकार्ड [illegible] जाने के आदेश दिए गए है प्रस्तुत की गयी है [illegible] प्रकरण प्र.सं. 38/1989 शिवपाल सिंह बनाम स्टेट निर्णय दिनांक 29.01.1990 की छायाप्रति प्रस्तुत की है जिसके द्वारा प्रार्थी शिवपाल सिंह के आवेदन कि दिनांक 22.06.1989 के निर्णय को निरस्त किया जावे बाबत निर्णय पारित करते हुए प्रार्थी शिवपाल सिंह का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है।
5. पत्रावली का अवलोकन करने पर स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा प्रश्नगत कि.नं. 21 से 25 में से वांछित रास्ता के संबंध में पूर्व में पूर्ववर्ती न्यायालय उपखण्ड अधिकारी

शकुन्तला
उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:34:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

रायसिंहनगर द्वारा निर्णय पारित किया हुआ है। प्रार्थी प्रदीप सिंह की ओर से उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध किसी प्रकार की अपील आदि किये जाने के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। जबकि प्रार्थी को चाहिए था कि उनके पिता अथवा वे निश्चित मियाद अवधि के अधीन रहते हुए न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करते। प्रार्थी प्रदीप सिंह के अधिवक्ता द्वारा न्यायालय के समक्ष तर्क रखा गया है कि 11 सीपीसी के प्रावधान केवल वाद पत्र लागू होते है। इस संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 141 अवलोकनीय है :

"**प्रकीर्ण कार्यवाहियां** : उस प्रक्रिया का जो वादों के विषय में इस संहिता में उपबंधित है, सिविल अधिकारिता वाले किसी भी न्यायालय में की सभी कार्यवाहियों में वहां तक अनुसरण किया जाएगा जहां तक वह लागू की जा सके।"

अतः प्रार्थी प्रदीप सिंह के अधिवक्ता का तर्क सुसंगत नहीं है। प्रकरण पर पूर्व न्याय का सिद्धांत लागू होता है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आरटीए पोषणीय नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र 11 सीपीसी स्वीकार योग्य है।

—: आदेश :—

6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी असकर अली का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर प्रार्थी प्रदीप सिंह का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राज. काश्त. अधि. पूर्व न्याय के सिद्धांत से बाधित होने के कारण इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 28.04.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

शकुन्तला
शकुंतला R.A.S
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर
श्रीविजयनगर

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्री विजयनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:34:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner